

¹प्ररूप सं. 15ग

[नियम 29ख देखें]

कर की कटौती के बिना ब्याज और अन्य राशियों की प्राप्ति के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता द्वारा आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

श्रीमान्,

मैं, जो का प्रधान अधिकारी हूँ, यह घोषणा करता हूँ कि -[बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता का नाम]

- (क) एक बैंककारी कंपनी/बीमाकर्ता है, जो न तो कोई भारतीय कंपनी है और न ही ऐसी कोई कंपनी है, जिसने भारत के भीतर लाभांशों की घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था की है और जो में स्थित शाखा (शाखाओं) के माध्यम से भारत में कार्य कर रही है;
- (ख) उक्त कंपनी या बीमाकर्ता का प्रधान कार्यालय में स्थित है; [स्थान और कंपनी का नाम]
- (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कंपनी या बीमाकर्ता आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य ब्याज [(प्रतिभूतियों पर ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न)] और ऐसी अन्य राशियों जो लाभांश नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए हकदार है;
- (घ) कंपनी, आय-कर नियम, 1962 के नियम 29ख में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करती है।

अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि उक्त कंपनी या बीमाकर्ता को, वित्तीय वर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन की कटौती के बिना [(प्रतिभूतियों पर ब्याज (धारा 193 के परंतुक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज से भिन्न)] ब्याज और ऐसी अन्य को जो लाभांश नहीं है, प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह ठीक है।

.....

हस्ताक्षर

तारीख

.....

पता

.....